मध्यप्रदेश शासन

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम
वर्ष 2015

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग,
भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन
आदिमजाति कल्याण विभाग
मंत्रालय-भोपाल
क्र./सी.एम.सी.एल.डी.पी./2015/141/भोपाल,दि.07/08/2015

//आदेश//

मध्यप्रदेश दृष्टि पत्र 2018 में समावेशी विकास के लिए समाज के वंचित वर्गो हेतु समुचित अवसरों का विस्तारके अनुक्रम में अनुसूचित जनजाति व उन सभी समूहों जिन्हें विशेष एवं केन्द्रित ध्यान की आवश्यकता है,का समेकित विकास राज्य की प्राथमिकता होने की दृष्टि से प्रदेश के सुदूर अंचलों में बसे जनजातीय समाज तक मध्यप्रदेश की जनकल्याण कारी योजनाओं को सुगमता से पहुँचाने के तारतम्य मेंम.प्र.शासन,आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ.23-10-2015/3-25 भोपाल,दिनांक 27 मई, 2015 से म.प्र.जन अभियान परिषद् को प्रदेश के 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकासकार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। परिषद् तदानुसार दायित्वों का निर्वहन करेगी। प्रदेश के विभिन्न 89 अध्ययन केन्द्रों पर अनुमोदन अनुसार वित्तीय

प्रबंधन का दायित्व भी जनअभियान परिषद का होगा। तदानुसार निर्देश क्रमांक 1/1 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है

संलग्न - यथोपरि

(बी0आर0नायडू) 7/8/15

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

पृ.क्र./सी.एम.सी.एल.डी.पी./2015/142/भोपाल,दि.07/08/15

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी,भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव,योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,मंत्रालय,भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,मंत्रालयभोपाल
4. अपर मुख्य सचिव,एवं कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय भोपाल

5. अपर मुख्य सचिव,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
6. प्रमुख सचिव,वन मंत्रालय,भोपाल
7. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भोपाल
8. प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय,भोपाल
9. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
10. आयुक्त,आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन मप्रभोपाल
11. आयुक्त,एकीकृत बाल विकास सेवाएँ,वात्सल्य भवन भोपाल
12. संचालक,आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं,मप्र भोपाल
13. संचालक आदिमजाति अनुसंधान संस्था,भोपाल
14. निदेशक, जन अभियान परिषद् भोपाल
15. निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान भोपाल
16. रजिस्ट्रार, महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय जिला सतना, मप्र
17. संभागीय आयुक्त समस्त मध्यप्रदेश
18. कलेक्टर समस्त म.प्र.

19. संभागीय उपायुक्त समस्त, आदिमजाति कल्याण विभाग, मप्र
20. परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना समस्तआदिमजाति कल्याण विभाग मप्र
21. सहायक आयुक्त /जिला संयोजक समस्त आदिमजाति कल्याण विभाग मप्र
22. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,आदिमजाति जनपद पंचायत समस्त,मप्र
23. प्राचार्य उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आदिमजाति विकासखंड समस्त, मप्र
24. स्टेट रिप्रजेन्टेटिव,यूनिसेफ मध्यप्रदेश,भोपाल
25. श्री आर.के.मिश्रा,स्टेट कन्सल्टेंट,मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम,उद्यमी विकास संस्थान,म.प्र.भोपाल.

(बी0आर0नायडू)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

म.प्र.शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

निर्देश क्रमांक 1/1

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

1. प्रस्तावना

प्रदेश के सामाजिक] आर्थिक विकास के लिये म.प्र. शासन द्वारा वर्तमान में 200 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें से अधिकांश योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान,सामाजिक,आर्थिक विकास एवं उनके प्रति समाज में सकारात्मक भावनाएं विकसित करने हेतु हैं।

इन योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक तभी पहुँच सकता है जब इनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में समाज की भागीदारी हो। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वैच्छिकता के भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिए कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे लोगों को जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से समाज के विकास के लिए

कार्य कर सकेंगे। ऐसे ही स्वप्रेरणा से प्रयासरत लोगों को शिक्षित कर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।dकार्यक्रम की अवधारणा. व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और सामाजिक हितों में उसका उपयोग है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम द्वारा स्थानीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयनित महिलाओं एवं पुरूषों को दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे वे अपने क्षेत्रों में सामाजिक विकासात्मक गतिविधियों हेतु नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे, शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान कर सकेंगे एवं अपने कैरियर का निर्माण कर सकेंगे ।

मध्यप्रदेश दृष्टि पत्र 2018 में समावेशी विकास के लिए समाज के वंचित वर्गों हेतु समुचित अवसरों का विस्तार के अनुक्रम में अनुसूचित जनजाति व उन सभी समूहों जिन पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, इस वर्ग का समेकित विकास राज्य की प्राथमिकता है। म.प्र. जन अभियान परिषद् का मूल उद्देश्य शासन तथा समुदाय के मध्य सशक्त एवं प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को क्षमता सम्पन्न बनाना है। साथ

ही समाज में स्वैच्छिकता एवं सामूहिकता के भाव को सुदृढ़ करने के लिए सशक्त सामुदायिक नेतृत्वकर्ता तैयार करना भी परिषद का एक उदेश्य है। इसी तारतम्य में प्रदेश के सुदूर अंचलों में बसे जनजाति समाज तक म.प्र. शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं को सुगमता से पहुंचाने के लिए म.प्र.शासन,आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के 20 जिलों के 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन का दायित्व म.प्र. जन अभियान परिषद् को सौंपा है।

20 जिलों के अनुसूचित जनजाति के 89 विकासखण्डों की सूची

संभाग	क्र.	जिला	कुल वि.खं.	विकासखण्ड
इंदौर	1	बुरहानपुर	01	खकनार
	2	खण्डवा	01	खालवा
	3	अलीराजपुर	06	भाबरा, अलीराजपुर, जोबट, कट्ठीवाड़ा, उदयगढ़,सोंडवा
	4	झाबुआ	06	झाबुआ, मेघनगर, पेटलाबाद, रामा, रानपुर, थांदला
	5	धार	12	बाघ, डही, धार, धरमपुरी, गंधवानी, कुक्षी, मनावर, नालछा, निसरपुर, सरदारपुर, तिरला,उमरबन
	6	बड़वानी	07	बड़वानी, निवाली, पाटी,पानसेमल, राजपुर, सेंधवा, ठीकरी
	7	खरगौन	07	भगवानपुरा,भीकनगांव, गोंगवा, झिरनिया, महेश्वर, खरगौन,सैगांव
रीवा	8	सीधी	01	कुसमी
	9	उनरिया	01	पाली-2 (गोपारू)

जबलपुर	10	शहडोल	04	बुढ़ार, पाली-1 गोपारू, जयसिंह नगर, सुहागपुर
	11	अनुपपूर	04	अनुपपूर, जैतहरी, कोतमा,पुष्पराजगढ़
	12	बालाघाट	03	बैहर, बिरसा, परसवाड़ा
	13	छिंदवाड़ा	04	बिछुआ, हर्रई, तामिया, जुन्नारदेव,
	14	सिवनी	05	छपारा, धनोरा, घंसौर, लखनादौन,कुर्रई
	15	डिंडौरी	07	अमरपुर, बजाग, डिंडौरी, करंजिया, मेंहदवानी, समनापुर, शाहपुरा
	16	मंडला	09	बीजाडांडी, बिछिया, घुघरी,मोहगांव, नैनपुर, मंडला, मावई, निवास, नारायणगंज
[illegible]	17	होशंगाबाद	01	केसला

	18	बैतूल	07	आठनेर, बैतूल, भैंसदेही, भीमपुर, चिचौली,घोड़ाडोंगरी, शाहपुर
उज्जैन	19	रतलाम	02	बाजना, सैलाना
ग्वालियर	20	श्योपुर	01	कराहल
योग	20		89	

यह कार्यक्रम जन अभियान परिषद के द्वारा शेष 213विकासखण्डों में अपने स्त्रोतों से परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए चलाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अपने विभागीय कर्मचारियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता विकास के लिए समस्त जिला मुख्यालयों पर संचालित है। कार्यक्रम सभी के लिए समान है परन्तु भाग लेने वाले व्यक्ति,उद्देश्य, क्रियान्वयन के अमले में भिन्नता है।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य

- अनुसूचित जनजाति समाज के महिलाओं एवं पुरूषों की प्रदेश के विकास में समान साझेदारी सुनिश्चित करने हेतु क्षमतावर्धन।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को सामजिक विकास के विविध आयामों के सम्बन्ध में जागरूक एवं शिक्षित कर एक कुशल सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करना।
- समाज के विकास हेतु स्वैच्छिकता एवं सामूहिकता के वातावरण को सुदृढ़ करना।
- शासन की विभिन्न योजनाएं समाज एवं अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना, जिससे समाज की सम्पूर्णआर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हो सके।
- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक विकासात्मक गतिविधियों हेतु नेतृत्व उपलब्ध करना।
- समाज कार्य के क्षेत्र में कैरियर निर्माण हेतु अवसर उपलब्ध कराना।
- स्थानीय स्तर पर जागरूक, सशक्त, क्षमतावान नेतृत्वकर्ता तैयार करना।

3. माड्यूल्स

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बैचलर ऑफ सोशल वर्क (नेतृत्व विकास) पाठ्यक्रम हेतु तीन वर्षो के लिए निम्नानुसार मॉड्यूल निर्धारित किये गये है-

1. कानूनी साक्षरता
2. संचार प्रोद्योगिकी
3. विकास में समस्याएं और मुद्दे

4 गैर सरकारी संगठन का गठन और प्रबंधन
5 महिला विकास और सशक्तिकरण
6 नेतृत्व विकास
7 सामुदायिक संगठन और लामबंदी
8 पर्यावरण शिक्षा
9 पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास
10 बाल विकास, संरक्षण और शिक्षा
11 पोषण और स्वास्थ्य देखभाल
12 संचार कौशल और विकास के लिए जीवन कौशल शिक्षा
13 माइक्रोफाइनेंस, माइक्रोक्रेडिट और उद्गम विकास
14 बुनियादी लेखांकन प्रलेखन और दस्तावेज प्रबंधन
15 बुनियादी कम्प्यूटर कौशल

प्रथम शैक्षणिक वर्ष-

पाठ्यक्रम के प्रथम शैक्षणिक वर्ष 2015 -16 हेतु निम्नानुसार माड्यूल्स निर्धारित किये गये हैं-

1. विकास की अवधारणा
2. नेतृत्व विकास
3. संचार कौशल और जीवन शिक्षा
4. स्वास्थ्य एवं पोषण
5. बाल विकास एवं संरक्षण

4. पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन एवं संचालन

1 बैचलर ऑफ सोशल वर्क (नेतृत्व विकास) पाठ्यक्रम चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से संबध्द है जिसकी अवधि तीन वर्षो की है। एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र, fopfoविचारोपरांतदो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर डिप्लोमा एवं तीन वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर विश्वविद्यालय द्वारा बैचलर ऑफ सोशल वर्क (नेतृत्व विकास) [Bachelor of social work (Leadership Development)] की उपाधि प्रदान ddकरने के बारे में निर्णय लिया जायेगा। पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 7 वर्ष है।

2 पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता 12 कक्षा उत्तीर्ण है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आयु 18 से 45 वर्ष निर्धारित है।

3 पाठ्यक्रम वार्षिक पध्दति से संचालित होगा। पाठ्यक्रम का वार्षिक शुल्क रू.3000/- एवं आवेदन पत्र का शुल्क रू. 150/- है। जिसे आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना है, इस शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क अदा नही करना है।

4 पाठ्यक्रम में आदिवासी बाहुल्य विकासखण्डों में 30 छात्र अनिवार्यत: अनुसूचित जनजाति के होंगे और उनमें भी 50 प्रतिशत महिलायें हैं।

5. शिक्षण हेतु सम्पर्क कक्षाओं का आयोजन

1 यह पाठ्यक्रम दूरवर्ती शिक्षण पद्धति (Distance Education Distance Education System System) द्वारा संचालित है, इसमें शिक्षण कार्य सम्पर्क कक्षाओं के माध्यम से उत्कृष्ट विद्यालयों में सम्पन्न होगा। प्रथम वर्ष हेतु कुल 40 कक्षाओं का संचालन किया जायेगा जो कि प्रत्येक रविवार को निर्धारित अध्ययन केन्द्र में सम्पन्न होंगी। पाठ्यक्रम हेतु छात्रों की 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रत्येक विकासखण्ड में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय का चयन किया गया है। ये उत्कृष्ट विद्यालय महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्य किये गये हैं तथा उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य अध्ययन केन्द्र प्रभारी हैं ।

2 प्राचार्य का दायित्व अध्ययन केन्द्र प्रभारी के रूप में पाठ्यक्रम की कक्षाओं का निर्बाध संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड वर्क की सतत् निगरानी करना है।

3 [illegible] की कक्षाएँ चयनित मेंटर्स के द्वारा ली जायेंगी [illegible] चयन कर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय [illegible]विद्यालय द्वारा 10 दिवस का प्रशिक्षण दिया गया है।

4 [illegible] का दायित्व प्रत्येक रविवार को संचालित कक्षाओं [illegible] निर्धारित विषय का पठन-पाठन कराना और [illegible] ग्राम में निर्देशानुसार फील्ड वर्क पूर्ण करना [illegible] अभिलेखीकरण करना है।

6. प्रायोगिक प्रशिक्षण/कक्षायें

1 [illegible] नेतृत्व क्षमता विकास का है अतः शिक्षण [illegible] कक्षाओं का आयोजन के साथ-साथ इसमें [illegible] कार्य की भी अनिवार्यता रखी गयी है। [illegible] कार्य की अनिवार्यता इस पाठ्यक्रम को अन्य [illegible] कोर्सेस से अलग पहचान देती है।

2 [illegible] के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र द्वारा एक गांव को [illegible] के रूप में चिन्हित किया जावेगा [illegible] सम्पर्क कक्षाओं से प्राप्त ज्ञान का उपयोग [illegible] अपना प्रायोगिक कार्य करेंगे।

3 [illegible] 50 प्रतिशत अंकों का वेटेज फील्ड वर्क [illegible] आधारित कार्य को दिया जायेगा, जिसमें से [illegible] अंक पूरे वर्ष ग्राम में कार्य करने के लिए

प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर मूल्यांकन के आधार पर प्रदत्त किया जावेंगे। स्वच्छ भारत अभियान विषय का चयन इस वर्ष के लिए किया गया हैं। 20 प्रतिशत अंक प्रत्येक माह में प्रदत्त कार्य अर्थात एसाइनमेंट के लिए होंगे। यह 2-2 अंक के 10 एसाइनमेंट।

4 छात्रों के वर्ष भर में ग्रामाधारित कार्य ग्राम के आर्थिक, सामाजिक विकास, समग्र स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण व समसामयिक विषयों पर केन्द्रित होंगे।

5 कक्षाओं के दौरान नियमित रूप से अपने निर्धारित विषयों पर अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने पर छात्रों के मध्य एक दूसरे से भी सीखने की प्रबल संभावना बनी रहेगी।

6 प्रत्येक व्यक्ति व उनके गांव की परिस्थितियां अलग होती हैं। एक ही समस्या का समाधान विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जाकर विभिन्न श्रेणी के समाधान निकल सकेंगे। यही समाधानों को ढूंढने व समुदाय को क्रियान्वयन करने से उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होगा।

7. रणनीति/कार्यविधि

1 **स्थल** - प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर शिक्षण हेतु सम्पर्क कक्षाओं का संचालन उत्कृष्ट विद्यालय में उपलब्ध कक्ष

में प्रत्येक रविवार को किया जायेगा। वहां 40 छात्रों के बैठने,श्यामपट,विद्युत,पंखे, जल, प्रसाधन, लेपटॉप, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, संदर्भ हेतु पुस्तकें एवं मैगजीन इत्यादि की आदि आवश्यकव्यवस्था रहेगी।

2 **स्त्रोत व्यक्ति (Mentors)-**

प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर ऐसे 5 विषय विशेषज्ञों/स्त्रोत व्यक्ति(MentorsMentors)ntors) का चयन किया गया है जो स्नात्कोत्तर हों एवं जिन्हें सामाजिक कार्य का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। विषय विशेषज्ञों/स्त्रोत व्यक्ति **(Mentors)** चयन कर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा 10 दिवस का आवासीयप्रशिक्षण दिया गया है।

3 **छात्र-छात्राओं का चयन -**

- इस पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में जनअभियान परिषद् द्वारा 18 से 45 वर्ष तक के 12वें पास ऐसे 30 अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाएं एवं पुरूषों का चयन किया गया है जो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है एवं इस क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु उत्सुक हैं। वे ग्राम पंचायत के स्थानीय रहवासी हैं। चयनित छात्रों में 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया गया है।

- प्रत्येक विकासखण्ड में 30 अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्राओं/छात्रों के अतिरिक्त परिषद् द्वारा 10 अन्य छात्राओं/छात्रों का भी चयन किया गया है।छात्रों के चयन में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई है जिनके द्वारा अपनी सक्रिय भागीदारी तथा नेतृत्व क्षमता से समाज में पहचान प्राप्त किया हो। जैसे- स्वसहायता समूह के अध्यक्ष,पंचायती राज संस्थाओं के पंच-सरपंच, जनपद जिला पंचायत सदस्य इत्यादि अथवा जिन्होंने शासन के विभिन्न अभियान जैसे साक्षरता अभियान, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, पल्स पोलियो अभियान, जन अभियान परिषद् के कार्यक्रम इत्यादि में सक्रिय भागीदारी निभायी हो।

विकासखण्डवार वित्तीय प्रबंधन निम्नानुसार रहेगा

- कुल प्रशिक्षण अवधि : 40 दिवस (प्रत्येक रविवार को)
- केन्द्र प्रभारी : 1
- विषय विशेषज्ञ(Mentors) : 5 प्रति दिवस
- कुल प्रतिभागी : 30+10 प्रति दिवस

क्र.	मद	विवरण	राशि (लाख रु. में) (1 वि.ख. हेतु)	राशि (लाख रु. में) (89 वि.ख. हेतु)
1	केन्द्र प्रभारी [illegible] हेतु मानदेय	1 व्यक्ति@ रु.1000/-x 40 दिवस	0.4	35.6
2	मेन्टर विषय विशेषज्ञों हेतु मानदेय	5 व्यक्ति@ रु.600/-x 40 दिवस	1.2	106.8
3	प्रतिभागी छात्र छात्राओं हेतु यात्रा भत्ता	30 छात्र/छात्राएं @ रु.100/-x 40 दिवस	1.2	106.8
4	विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश शुल्क	30 छात्र/छात्राएंx रु.150/-	0.045	4.005
5	छात्र छात्राओं को कोचिंग करने हेतु विश्वविद्यालय के लिए कोचिंग कोर्स शुल्क	30 छात्र/छात्राएं xरु.3000/-	0.9	80.1

6	भृत्य हेतु मानदेय	1 व्यक्ति@ रू.200x40 दिवस	0.08	7.12
7	विषय विशेषज्ञ/मेंटर्स हेतु राज्य स्तरीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग तथा कोर्स क्रियान्वयन एवं संचालनकर्ता (जअप कर्मचारियों) हेतु मानदेय		0.52	46.28
8	केन्द्र में प्रतिभागी छात्र /छात्राओं हेतु स्वल्पाहार	1 छात्र/छात्रा @ रू. 100x 30 छात्र/छात्राएं x 40 दिवस	1.2	106.8
9	विविध व्यय (दस्तावेजीकरण, मॉनिटरिंग हेतु साफ्टवेयर डिजाइनिंग आदि)		0.055	4.89
	योग		5.6	498.40

8. [illegible]

- [illegible] के द्वारा किये गये कार्यों को न केवल [illegible] मिलेगी बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी [illegible]
- [illegible] के सामाजिक एवं विकास के क्षेत्र में आवश्यक [illegible] की पूर्ति हेतु एक प्रशिक्षित वर्ग भी [illegible]
- [illegible] द्वारा आमजनों को शासन द्वारा संचालित [illegible] योजनाओं की जानकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध [illegible]
- [illegible] एवं पात्र हितग्राहियों को संचालित योजनाओं [illegible] दिलवाने में छात्र/छात्राओं द्वारा सहयोग [illegible]
- [illegible] के वास्तविक आवश्यकताओं एवं संचालित [illegible] के संतुष्टि के स्तर का आंकलन कर शासन [illegible] दिया जा सकेगा।
- [illegible] योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु स्थानीय [illegible] व्यक्तियों की उपलब्धता होगी।
- [illegible] के मुद्दे, समस्यायें और समाधान तथा जन [illegible] कानून से परिचित हो सकेंगे।
- [illegible] सामाजिक नेतृत्वकर्ता तैयार हो सकेंगे।

- पंचायती राज की कार्यप्रणाली का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार-प्रचार होगा।
- खेती के विविधीकरण (Diversification Of Farming) खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ पशुधन, सब्जी उत्पादन, फलोत्पादन,कृषि वानिकी,मुर्गी पालन; रेशम कीटपालन, मधु मक्खी पालन,जैविक खेती के महत्व, लाभ, उपयोगिता और तरीकों से अवगत हो सकेंगे।
- शुद्ध पेयजल के महत्व व उपलब्धता के तरीकों से लोंगो को अवगत कराया जा सकेगा।
- उर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों से लोंगो को अवगत कराया जा सकेगा।
- ग्रामीण प्रौद्योगिकी का प्रचार -प्रसार हो सकेगा।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, बाल अवस्था में पोषण व टीकाकरण के महत्व तथा गर्भवती महिलाओं की उचित देखभाल हेतु लोग शिक्षित हो सकेंगे।
- पर्यावरण का महत्व एवं संरक्षण के तरीके जानने वाले कार्यकर्ता तैयार हो सकेंगे।
- शिक्षा के महत्व का प्रचार प्रसार होगा जिससे स्कूली शिक्षा हेतु सर्वशिक्षा अभियान को बल मिलेगा।
- नशा तथा एच.आई.व्ही. से पीड़ित व्यक्तियों के पुर्नवास में सहयोग।

- [illegible], जलवायु तथा प्राकृतिक संसाधनों का महत्व [illegible] इनके संरक्षण में समाज एवं सरकार की भूमिका।
- [illegible] प्रबंधन की समझ रखने वाला मानव संसाधन [illegible] हो सकेगा।
- [illegible]च्छिक संगठनों के गठन,प्रबंधन एवं स्वैच्छिक [illegible] की विकास में सहभागिता के महत्व को रेखांकित [illegible] में जागरूकता आ सकेगी।
- [illegible]फाइनेंस, माइक्रोक्रेडिट और उद्यम विकास माइक्रो [illegible] की स्थापना,माइक्रोफाइनेंस और सूक्ष्म [illegible] के बीच संबंधों की प्रक्रिया से शिक्षित करना एवं [illegible] को रोजगार उपलब्ध कराना।
- [illegible]विश्वास में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक समरसता [illegible] परिवार एवं समाज के विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी [illegible]।
- [illegible] अकाउंटिंग एवं कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाला [illegible] व्यक्ति ग्राम में उपलब्ध होगा।
- [illegible] जीवन स्तर में सुधार आयेगा।
  [illegible] विकास संभव हो सकेगा।

९. कलेक्टर की भूमिका

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम कलेक्टर के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में संचालित किया जावेगा। शासन की विभिन्न विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जनसहभागिता एवं जागरूकता आवश्यक है जिसे जिले में समय-समय पर प्राथमिकताएँ निश्चित कर किया जाता है। ऐसी योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षणार्थी एवं मेंटर्स का उपयोग प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। जिले में यह प्रशिक्षणार्थी एवं मेंटर्स जनसहभागिता के लिए उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं।

कलेक्टर आवश्यकतानुसार जिले की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रशिक्षणार्थियों एवं मेंटर्स के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित कर जहां एक ओर क्षमता वृद्धि के उपाय किये जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षणार्थियों के माध्यम से शासन का संदेश ग्राम स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। उदाहरण- वर्ष 2015-16 के शैक्षणिक सत्र में पूरे वर्ष **"स्वच्छ भारत अभियान"**का प्रोजेक्ट आवंटित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी चयनित ग्रामों में वर्ष भर कार्य करेंगे। शासन की अन्य विकास योजनाओं में भी इस प्रकार प्रशिक्षणार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत इस क्षेत्र

[illegible] भूमिका अदा कर सकते हैं। कलेक्टर से यह [illegible] की जाती है कि वह जिला स्तरीय विभिन्न [illegible] के अधिकारियों को संचालित अध्ययन [illegible] भेजकर विभागीय योजनाओं की जानकारी [illegible] भाषा में प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध करावें [illegible] ऐसी योजनाओं के लाभार्थियों का [illegible] ग्रामों में करने में सहायक हो सकें। जिला [illegible] योजनाओं की जानकारी से संबंधित साहित्य [illegible] भाषा में एक अध्ययन केन्द्र पर 50 प्रतियों [illegible] करावें ताकि प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध [illegible] सकें।

10. प्राचार्य/केन्द्र प्रभारी की भूमिका

[illegible] विकासखण्ड में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय के [illegible] अध्ययन केन्द्र प्रभारी होंगे।

- [illegible] रविवार को अपने अध्ययन केन्द्र में उपस्थित [illegible] की जानकारी केन्द्र प्रभारी प्राचार्य द्वारा [illegible] को प्रेषित की जायेगी।
- [illegible] की नियमितता, अनुशासन, पठन-[illegible] स्तर और ग्राम विकास के दौरान [illegible] और प्रतिबध्दता से प्रदान किये गये [illegible] निष्पादन का समग्र दायित्व प्राचार्य, उत्कृष्ट [illegible] का होगा।

- चयनित स्थल पर पठन-पाठन हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी केन्द्र प्रभारी प्राचार्य की होगी।
- प्राचार्य,उत्कृष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि अध्ययन केन्द्र में विद्युत प्रवाह निरंतर उपलब्ध रहे। विद्युत प्रवाह की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जावे।
- उत्कृष्ट विद्यालय का इंटरनेट चालू स्थिति में बना रहे।
- प्रदेश के जिन उत्कृष्ट विद्यालयों में ऑडियो विजुअल क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे कि संपर्क कक्ष ऑडियो विजुअल कक्षा में संचालित की जावें।
- अध्ययन केन्द्र प्रभारी प्राचार्य,मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम की वेबसाइट तैयार करावेंगे जो उत्कृष्ट विद्यालय से संबंधित होगी। वेबसाइट का नाम "सी.एम.सी.एल.डी.पी. उत्कृष्ट......................................"रखा जावे।
- सी.एम.सी.एल.डी.पी.की वेबवाइट पर प्राचार्य, विद्यार्थियों,मेन्टर्स की उपस्थिति प्रत्येक रविवार/सोमवार को पोस्ट करेंगे।
- वेबसाइट पर प्राचार्य द्वारा आवंटित राशि से किये जाने वाले मानदेय,यात्रा व्यय, स्वल्पाहार व्यय एवं

[illegible]विद्यालय में जमा कराई गई छात्रों की वार्षिक [illegible] की जानकारी भुगतान के तत्काल पश्चात् [illegible] रविवार/सोमवार को पोस्ट करेंगे।

- [illegible] 30 अनुसूचित जनजाति के छात्रों के अतिरिक्त [illegible] छात्रों की पात्रतानुसार फीस प्रतिपूर्ति के लिए [illegible] कार्यवाही संबंधित विभागों से किये जाने [illegible] प्राचार्य का होगा। प्राचार्य यह कार्यवाही [illegible] तक संपादित करेंगे जब तक कि [illegible] संबंधित छात्र को फीस की प्रतिपूर्ति [illegible] विभाग द्वारा नहीं हो जाती है।
- [illegible] के अंतर्गत प्राचार्यगण आवंटित राशि का [illegible] व्यय तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी [illegible] के लिए बंधनकारी रहेंगे।
- [illegible] छात्रों को मासिक असाइन्मेंट आवंटित करेंगे [illegible] द्वारा असाइन्मेंट कार्य को संबंधित माह [illegible] चरण में प्रस्तुत करने पर संबंधित मेंटर्स [illegible] अंक दिये जाने की कार्यवाही के पश्चात् [illegible] की सूची महात्मा गाँधी चित्रकूट [illegible]विद्यालय को प्रमाणिकरण पश्चात् प्रेषित [illegible]

- इसी प्रकार वर्ष भर चलने वाले प्रोजेक्ट (स्वच्छ भारत अभियान) की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा छात्रों से चर्चा कर प्राचार्य द्वारा की जावेगी।

11. विश्वविद्यालय की भूमिका

प्रदेश के 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में संचालित अध्ययन केन्द्रों (उत्कृष्ट विद्यालयों) की मान्यता जारी करना।

- छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही।
- छात्रों के प्रवेश पश्चात् पंजीयन क्रमांक जारी करना।
- सेल्फ लर्निंग मटेरियल निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- कक्षाओं का निरीक्षण।
- परिक्षाओं का संचालन।
- मूल्यांकन,परिणाम जारी करना।
- पात्रतानुसार प्रमाण-पत्र जारी करना।
- आगामी वर्षो के लिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल तैयार करना।
- ऑडियो विज़ुअल माध्यम से कक्षाओं में अध्यापन।

12. जन अभियान परिषद की भूमिका

म.प्र.शासन,आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 23-10-2015/3-25 भोपाल,दिनांक 27 मई, 2016 से म.प्र.जन अभियान परिषद् को प्रदेश के 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। परिषद् तदानुसार [illegible] का निर्वहन करेगी। प्रदेश के विभिन्न 89 अध्ययन केन्द्रों का अनुमोदन अनुसार वित्तीय प्रबंधन का दायित्व भी जन अभियान परिषद का होगा।

13. आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की भूमिका

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम प्रदेश के 89 विकासखण्डों में आदिम जाति कल्याण विभाग के [illegible] से विभागीय अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे इस कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन का निरंतर निरीक्षण मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले के सभी अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में कार्यक्रम का संचालन निर्देशानुसार नियमित किया जा रहा है। संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर विभिन्न विकास विभागों के जिला अधिकारियों द्वारा सम्पर्क कक्षाओं में विभागीय योजनाओं की [illegible] से संबंधित साहित्य का वितरण कराना

सुनिश्चित करेंगे। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास इस कार्यक्रम से जुड़े छात्र-छात्राओं को फील्ड वर्क के दौरान विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय अधिकारियों-कर्मचारियों का सहयोग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक माह प्राचार्य,उत्कृष्ट उ.मा.वि. से संपर्क कक्षाओं के संचालन,छात्रों तथा मेंटर्स की उपस्थिति आदि की जानकारी एकत्रित उपायुक्त,आदिवासी विकास के माध्यम से आयुक्त,आदिवासी विकास आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

7/8/15

(बी0आर0नायडू)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय